न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी टॉडगढ (अजमेर)

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 01/2018

राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट बड़ाखेड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. श्री मोहनसिह पुत्र श्री किशनसिह जाति रावत उम्र 60 निवासी ग्राम रूपनगर अरनाली तहसील टॉडगढ जिला अजमेर (राज.)

प्रार्थी........

बनाम

1. श्री पूरण सिहं पुत्र श्री रामसिह
2. श्री नारायणसिंह वयस्क पुत्र श्री रामसिंह
3. श्री पूनमसिंह वयस्क पुत्र श्री रामसिंह
4. श्री राजूसिंह वयस्क पुत्र श्री मानसिंह समस्त जाति रावत निवासियान ग्राम रुपनगर अरनाली तहसील टॉडगढ जिला अजमेर (राज)
5. राजस्थान सरकार बजरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, टॉडगढ (राज)

अप्रार्थी......

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

आदेश **दिनांकः– 09.05.2018**

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट बड़ाखेड़ा में प्रस्तुत हुई। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में सारांशतः कथन किए हैं कि मौजा ग्राम रुपनगर अरनाली पटवार क्षेत्र रुपनगर अरनाली भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खेडाकलां तहसील टॉडगढ जिला अजमेर (राज) में निम्न वर्णित आराजियात स्थित चली आती हैं:–

खाता संख्या		खसरा संख्या	रकबा			किस्म
नया	पुराना		बी	बि	बि	
115	110	1214	00	05	00	ता. 1
		1215	00	07	00	ता. 1
कुल किता		2 रकबा	00	12	00	

उपरोक्त वर्णित आराजियात सहित अन्य आराजियात राजस्व अभिलेखों मे प्रार्थी एवं अन्य सहखातेदारान के नाम अंकित चली आ रही है जो कि राजस्व रेकार्ड जमाबंदी संवत 2070 से 2073 से प्रमाणित है। प्रार्थी एवं सहखतेदारान के मध्य हुए आपसी मौखिक विभाजन में उपरोक्त पद नंबर 1 में वर्णित आराजियात प्रार्थी के हिस्से में आई हुई है तथा प्रार्थी ही उपरोक्त भूमियों पर अकेला खातेदार काश्तकार होकर काबिज काश्त चला आ रहा है तथा प्रार्थी के अतिरिक्त उक्त भूमियों से अप्रार्थी नंबर 1 लगायत 4 अथवा अन्य किसी व्यक्ति का किसी तरह का कोई संबंध सरोकार या हक अधिकार नहीं रहा है, ना हो ही सकता है। प्रार्थी की भूमियों से लगते हुए अप्रार्थी नंबर 1 लगायत 3 की भूमि खसरा नंबर 1216 व 1217 एवं अप्रार्थी नंबर 4 की भूमि स्थित चली आ रही है। प्रार्थी की उपरोक्त आराजियात का सीमाज्ञान/पत्थरगढी नहीं हो रखी है, जिसकी वजह से अप्रार्थी अपनी भूमियों का नाप चौप करा सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करवाना चाहता है। प्रार्थी ने दिनांक 25/4/2018 को अप्रार्थी नंबर 5 से सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करवाने हेतु निवेदन किया। किंतु अप्रार्थी द्वारा इस हेतु सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये। इस कारण इस प्रार्थना पत्र की आवश्यकता उत्पन्न हुई है। ऐसी अवस्था में अब प्रार्थी माननीय न्यायालय के जरिये उक्त भूमियों का सीमाज्ञान/पत्थरगढी करवाने का अधिकारी है। बिना सीमाज्ञान/पत्थरगढी के प्रार्थी को काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। मौजूदा प्रार्थना पत्र का कारण माननीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में दिनांक 25/4/2018 को उत्पन्न हुआ एवं दिन प्रतिदिन उत्पन्न होता जा रहा है।

उपखण्ड अधिकारी
टॉडगढ

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया।

प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण आज स्वयं उपस्थित हुए जिन्होंने मज़मे आम में कथन किए कि खसरा संख्या 1214 व 1215 का नाप चौप कर सीमाज्ञान एवं पत्थरगढ़ी की जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। उक्त बाबत् तहसीलदार टॉडगढ़ ने भी कोई एतराज़ जाहिर नहीं करते हुए नियमानुसार पत्थरगढ़ी किये जाने के मौखिक कथन मज़मे आम में किए।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि ग्राम रूपनगर अरनाली पटवार क्षेत्र रूपनगर अरनाली की जमाबन्दी संवत् 2070–73 के खाता संख्या 115 में अन्य सहखातेदारान के साथ प्रार्थी श्री मोहनसिंह पि. किशनसिंह दर्ज है जिसमें अन्य खसरान् के साथ वादग्रस्त खसरा संख्या 1214 रकबा 00–05–00, 1215 रकबा 00–07–00 अंकित है। चूंकि मज़मे आम में सहखातेदारान ने सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी किए जाने में कोई एतराज नहीं किया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी सहखातेदारी की भूमियों का सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी करवाने के अधिकारी है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार टॉडगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वे नियमानुसार पत्थरगढ़ी शुल्क प्राप्त कर प्रार्थी व अप्रार्थी पक्षकारान एंव विवादित खसरान के आस पास के खातेदारान को सूचित कर एंव संबंधित हल्का पटवारी के साथ अन्य दो पास के हल्के के पटवारीयान/भू अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित कर मौजा ग्राम रुपनगर अरनाली पटवार क्षेत्र रुपनगर अरनाली भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खेडाकलां की वादग्रस्त आराजियात खसरा संख्या 1214 रकबा 00–05–00, 1215 रकबा 00–07–00 का नियमानुसार सीमांकन कर मौके पर पत्थर गढी करावे पालना रिपोर्ट 15 दिवस में प्रस्तुत करावे।

आदेश आज दिनांक 09.05.2018 को मेरे द्वारा कोर्ट कैंप बड़ाखेड़ा में खुले न्यायालय में सुनाया गया।

09/5/18
(दीपांशु सांगवान)
आर.ए.एस. (प्रशिक्षु)
उपखण्ड अधिकारी
टॉडगढ़

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी * टॉडगढ़, जिला-अजमेर *